न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 215/**17 (वाद)**

1. श्री रूपलाल पिता भेरा भील निवासी रेबारियों की ढाणी तह. मावली।
2. श्री मांगीलाल पिता भेरा भील निवासी रेबारियों की ढाणी तह. मावली।
3. श्री भंवरलाल पिता भेरा भील निवासी रेबारियों की ढाणी तह. मावली।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्री भेरा पिता आशा भील निवासी रेबारियों की ढाणी तह. मावली।
2. श्री केसुलाल पिता वरदा भील निवासी राती तलाई, बेदला, तह. बडगांव।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पवन सेन, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 16.09.2019

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रेबारियों की ढाणी पटवार हल्का गुडली की परिशिष्ठ अ में वर्णित आराजी नम्बर 961, 962, 963 किता 3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी सं. 2 के नाम 7/324 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम अंकित हैं जिनसे वादीगण ने कोई दाद नहीं चाही है इसलिए उन्हे पक्षकार नहीं बनाया हैं। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं। परिशिष्ठ ब में वर्णित आराजी नम्बर 4446/929, 4447/927, 4448/929, 4449/929, 4450/959, 4452/929, 4732/4451 किता 7 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी सं. 2 के नाम 7/36 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम अंकित हैं जिनसे वादीगण ने कोई दाद नहीं चाही है इसलिए उन्हे पक्षकार नहीं बनाया है। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं।
2. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

आशा पिता अम्बावा (मूल पुरूष)

भेरा(पुत्र) चतरा(पुत्र) शंकर(पुत्र) रमेश(पुत्र) नारू (पुत्र) मु.प्रताबी(पत्नी फौत)

भेरा(पुत्र) →

रूपलाल(पुत्र,वादी सं.1) मांगीलाल(पुत्र,वादी सं.2) भंवरलाल(पुत्र,वादी सं.3) धापुबाई(पत्नी)

उक्त सजरे अनुसार आशाजी हमारे मूल पुरूष थे जिनके पांच पुत्र भेरा, चतरा, शंकर, रमेश, नारू एवं पत्नी प्रताबी हुए। भेरा के वारिस पुत्र रूपलाल, मांगीलाल, भंवरलाल वादीगण एवं पत्नी धापुबाई है जो सभी जीवित हैं।

3. उक्त वादपत्र में वर्णित आराजीयात जो हम ववादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक सम्पति है जो पूर्व सम्वत् 2043–2046 की राजस्व जमाबन्दी में हमारे मौरूस आशा पिता अम्बावा भील के नाम दर्ज थी तथा आशा पिता अम्बावा भील के निधनोपरान्त उक्त भूमि विरासत से उनके पुत्र भेरा (प्रतिवादी सं. 1) एवं चतरा, शंकर, रमेश, नारू एवं पत्नी मु. प्रताबी के नाम पर विरासत से अंकित हुई हैं।

4. वाद में वर्णित भूमि पर हम वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का अपने हिस्सेनुसार कब्जा, उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं तथा हमने हमारे निवास हेतु इस जमीन में मकान बना रखे है तथा जमीन की पिलाई के लिये एक ट्यूबवेल खुदवा रखी है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। लेकिन उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर अंकित होने का नाजायज फायदा उठा हम वादीगण को हमारे हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से वाद के परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से 7/324 हिस्सा एवं परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण 7/36 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी सं. 2 को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दी। जबकि प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमियों में अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं था और न ही प्रतिवादी सं. 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हैं। प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 ने जो विक्रय पत्र सम्पादित कराया है जो हम वादीगण के मुकाबले बेअसर व शुन्य निष्प्रभावी हैं एवं प्रतिवादी सं. 1 ने वाद वर्णित आराजीयात में नुमाईशी विक्रय पत्र में वर्णित हिस्सेनुसार उक्त आराजीयात का कब्जा प्रतिवादी सं. 2 को नहीं दिया है क्योकि मौके पर प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम दर्ज हिस्से की भूमि में अपने हिस्से

से अधिक भूमि पर काबिज ही नहीं हैं तो अपने हिस्से से अधिक भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 2 को देने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। इसलिए हम वादीगण वाद पत्र की परिशिष्ट अ व ब में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से हम वादीगण प्रत्येक के नाम हिस्सानुसार भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं। इसलिए यह वाद पत्र प्रस्तुत हैं।

5. हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि वाद पत्र के परिशिष्ट अ व ब में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें हम वादीगण को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अधिकार प्राप्त हो गये हैं। लेकिन उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 1 ने इसका नाजायज फायदा उठा परिशिष्ठ अ व ब में वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि का प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कर भूमि विक्रय कर दी और उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 ने अपने नाम पर रेकार्ड में भी अंकित करा दी है और अब प्रतिवादी सं. 2 मौके पर आकर हम वादीगण को धमकी दे रहा है कि जमीन से कब्जा हटा लेना वरना जबरन ताकत के बल पर तुम्हार कब्जा हटा देगे तथा प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम पर अंकित शेष हिस्सा भूमि को भी हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है इसलिए हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 1, 2 हम वादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, उक्त कार्य न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम वादीगण को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में हैं।

6. हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 06.08.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण सं. 1, 2 ने मौके पर आकर हम वादीगण को बेदखल करने एवं जमीन को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अतः प्रार्थना है कि हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीग के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि हमारी पैतृक सम्पति है इसलिए वाद पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित कृषि भूमि 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सानुसार भूमि का हम वादीगण प्रत्येक को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारा का नाम राजस्व रेकार्ड राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावें। हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावेकि प्रतिवादी सं. 1, 2 वाद पत्र में वर्णित परिशिष्ट अ व ब में वर्णित आराजीयात में हम वादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें हम वादीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी सं. 1, 2 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे ताफैसला वाद प्रतिवादी सं. 5 पंजीयन नहीं करे व प्रतिवादी सं. 3, 4 ताफैसला वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से के अलावा वादीगण को उनके हिस्से के खातेदार घोषित किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

9. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री रूपलाल पिता भेरा, पीडब्ल्यू 2 श्री सवा पिता डुंगा, पीडब्ल्यू 3 श्री कालु पिता धर्मा का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2043 से 2046 प्रदर्श 2 व 3, मकान के फोटोग्राफ प्रदर्श 4 पेश की।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा

अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादी का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पति होकर वादी के दादा आशा पिता अम्बावा के समय से चली आ रही है जो दस्तावेज 2 व 3 हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा आशा पिता अम्बावा की मृत्यु के बाद विरासत से आशा के वारिसों के नाम पर दर्ज हुई। इसलिए भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 भेरा को विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पर वादीगण अपने हिस्सेनुसार काबिज होना बताया हैं। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 2 को विक्रय कर दी है जबकि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा ही था। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया है कि वह अनपढ है उसने प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हिस्से के बेचान की ही बात कर राशि भी 1/4 हिस्से की प्राप्त करते हुए रजिस्ट्री करवाने का कथन किया। प्रतिवादी सं. 1 अनपढ होने से प्रतिवादी सं. 2 द्वारा धोखाधडी पूर्वक प्रतिवादी सं. 1 के सम्पूर्ण जमीन की रजिस्ट्री करवाने का कथन किया है जिसके लिए प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्व पुलिस थाना डबोक में एक प्रकरण धारा 420, 467, 468 का दर्ज करवाया जो वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली में जैरकार्यवाही होना बताया हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होने से वादीगण का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है इसी हिस्सेनुसार वादीगण मौके पर काबिज होना बताया व मकान बना हुआ है जो फोटोग्राफ दस्तावेज प्रदर्श 4 हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का भी 1/4 हिस्सा ही बनता हैं। जिसे बेचने के तथ्य को प्रतिवादी सं. 1 स्वयं ने स्वीकार किया हैं एवं साथ ही यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा धोखें से सम्पूर्ण हिस्से की रजिस्ट्री करा ली हैं। प्रतिवादी सं. 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया, परन्तु प्रतिवादी सं. 2 न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा हैं। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है। इससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता हैं। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 2 श्री

सवा पिता डुंगा भील निवासी रेबारियों की ढाणी, पीडब्ल्यू 2 श्री कालु पिता धर्मा भील निवासी रेबारियों की ढाणी ने भी अपने शपथ पत्र में वादीगण को उनके हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करने का कथन किया हैं। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होना स्पष्ट हैं। वादीगण की पैतृक सम्पति होने से पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से ही अधिकार निहित हैं एवं मौके पर अपने हिस्सेनुसार अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। मौके पर अपने हिस्से पर वादीगण काबिज है। वादीगण का मकान बना होकर उसमें वादीगण निवास कर रहे हैं। इसलिए वादीगण उक्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा रेबारियों की ढाणी पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 961, 962, 963 किता 3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4446/929, 4447/927, 4448/929, 4449/929, 4450/959, 4452/929, 4732/4451 किता 7 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि में विरासत से भेरा के नाम आई भूमि में से वादी सं. 1 को 1/4, वादी सं. 2 को 1/4, वादी सं. 3 को 1/4 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। भेरा का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 के यथावत् रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रूपलाल पिता भेरा भील निवासी रेबारियों की ढाणी तह. मावली।
2. श्री मांगीलाल पिता भेरा भील निवासी रेबारियों की ढाणी तह. मावली।
3. श्री भंवरलाल पिता भेरा भील निवासी रेबारियों की ढाणी तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री भेरा पिता आशा भील निवासी रेबारियों की ढाणी तह. मावली।
2. श्री केसुलाल पिता वरदा भील निवासी राती तलाई, बेदला, तह. बडगांव।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 215/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा रेबारियों की ढाणी पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 961, 962, 963 किता 3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4446/929, 4447/927, 4448/929, 4449/929, 4450/959, 4452/929, 4732/4451 किता 7 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि में विरासत से भेरा के नाम आई भूमि में से वादी सं. 1 को 1/4, वादी सं. 2 को 1/4, वादी सं. 3 को 1/4 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। भेरा का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 के यथावत् रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.09.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली